शोध पत्र: जांजगीर-चांपा जिले में सरकारी योजनाएं: आदिवासी समुदाय के विकास के विशेष संदर्भ में एक समाजशास्त्रीय एवं राजनीतिक अध्ययन

NAME - DR. PITAMBAR RAY
INSTITUTE - ATAKL BIHARI VAJPAYEE UNIVERSITY BILASPUR

शोध सारांश (Abstract)

यह शोध पत्र छत्तीसगढ़ राज्य के जांजगीर-चांपा जिले में आदिवासी समुदायों के सामाजिक-आर्थिक, शैक्षणिक और राजनीतिक सशक्तिकरण के लिए संचालित विभिन्न केंद्र और राज्य प्रायोजित सरकारी योजनाओं के प्रभाव का एक आलोचनात्मक एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रस्तुत करता है। जांजगीर-चांपा को पारंपरिक रूप से एक कृषि प्रधान और वर्तमान में एक प्रमुख औद्योगिक और 'पावर हब' के रूप में जाना जाता है। इस तीव्र औद्योगिकीकरण के मध्य, यहाँ निवास करने वाले आदिवासी समुदायों (गोंड, कंवर, बिंझवार आदि) का विकास और उनका मुख्यधारा में एकीकरण एक गंभीर अकादमिक विमर्श का विषय है। यह अध्ययन कल्याणकारी राज्य (Welfare State) की अवधारणा के परिप्रेक्ष्य में यह मूल्यांकन करता है कि एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRS), वन अधिकार अधिनियम (FRA), पेसा (PESA) और मुख्यमंत्री हाट-बाजार क्लिनिक जैसी योजनाएं जमीनी स्तर पर कितनी सफल रही हैं। राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण का प्रयोग करते हुए, यह शोध नीतिगत खामियों, नौकरशाही की बाधाओं और 'अभिजनवादी प्रभाव' (Elite Capture) की पहचान करता है, तथा नीति-निर्माण एवं प्रभावी क्रियान्वयन के लिए ठोस अकादमिक सुझाव प्रस्तुत करता है।

अध्याय 1: प्रस्तावना (Introduction)

भारत में जनजातीय विकास की नीतियां हमेशा से एक जटिल विमर्श का हिस्सा रही हैं। विकास के समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से यह देखना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि किसी क्षेत्र के औद्योगिकीकरण का लाभ वहां के मूल निवासियों तक किस अनुपात में पहुँचा है। छत्तीसगढ़ का जांजगीर-चांपा जिला इस विरोधाभास का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। राज्य के मध्य भाग में स्थित इस जिले में यद्यपि बस्तर या सरगुजा संभाग की भांति आदिवासी जनसंख्या का बाहुल्य नहीं है, तथापि यहाँ की एक महत्वपूर्ण आबादी जनजातीय है जो विकास की मुख्यधारा से ऐतिहासिक रूप से कटी हुई है।

भारतीय संविधान एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना का संकल्प लेता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व (भाग 4) और विशेष रूप से अनुच्छेद 46 यह स्पष्ट करता है कि राज्य कमजोर वर्गों, विशेषकर अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के शैक्षिक और आर्थिक हितों की विशेष सावधानी से अभिवृद्धि करेगा और सामाजिक अन्याय तथा सभी प्रकार के शोषण से उनकी रक्षा करेगा। इस संवैधानिक दायित्व की पूर्ति हेतु जांजगीर-चांपा में शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका और आवास से जुड़ी अनेक योजनाएं लागू की गई हैं। परंतु, नीतियों के निर्माण (Policy Formulation) और उनके वास्तविक क्रियान्वयन (Policy Implementation) के मध्य एक गहरी खाई मौजूद है। यह शोध इसी खाई के कारणों, परिणामों और समाधानों की विस्तृत पड़ताल करता है।

अध्याय 2: शोध पद्धति एवं उद्देश्य (Methodology & Objectives)

इस शोध का मुख्य उद्देश्य जांजगीर-चांपा जिले में आदिवासी समुदाय के लिए चल रही प्रमुख सरकारी योजनाओं का दस्तावेजीकरण करना और उनके सामाजिक-आर्थिक-राजनीतिक प्रभाव का आलोचनात्मक मूल्यांकन करना है। इसके साथ ही, योजनाओं का लाभ उठाने में आदिवासी समुदाय के समक्ष आने वाली प्रशासनिक, भौगोलिक और संरचनात्मक बाधाओं का विश्लेषण करना भी इस अध्ययन का लक्ष्य है।

यह शोध वर्णनात्मक (Descriptive) और विश्लेषणात्मक (Analytical) पद्धति पर आधारित है। द्वितीयक स्रोतों (Secondary Sources) के अंतर्गत सरकारी रिपोर्टों, भारत की जनगणना 2011 के आंकड़ों, जनजातीय कार्य मंत्रालय (Ministry of Tribal Affairs) के प्रकाशनों, जांजगीर-चांपा जिला प्रशासन के आधिकारिक दस्तावेजों और विभिन्न अकादमिक जर्नल्स में प्रकाशित पूर्व शोध पत्रों का गहन अध्ययन किया गया है। लोक प्रशासन और समाजशास्त्र के सैद्धांतिक टूल्स का उपयोग करके इन आंकड़ों का विश्लेषण किया गया है।

अध्याय 3: सैद्धांतिक परिप्रेक्ष्य: राजनीति विज्ञान और समाजशास्त्र (Theoretical Framework)

किसी भी हाशियाकृत (Marginalized) समुदाय के विकास का विश्लेषण एक सुदृढ़ सैद्धांतिक ढांचे के बिना अधूरा है। आदिवासी विकास को केवल आर्थिक सहायता या सब्सिडी वितरण तक सीमित नहीं रखा जा सकता।

राजनीति विज्ञान के दृष्टिकोण से, यह अध्ययन 'सबाल्टर्न थ्योरी' (Subaltern Theory) और 'कल्याणकारी राज्य' (Welfare State Theory) के सिद्धांतों पर आधारित है। सबाल्टर्न दृष्टिकोण यह मांग करता है कि विकास की नीतियां ऊपर से नीचे (Top-Down Approach) न थोपी जाएं, बल्कि उनमें नीचे से ऊपर (Bottom-

Up Approach) की ओर नीति-निर्माण हो, जिसमें ग्राम सभाओं और स्थानीय आदिवासी नेतृत्व की प्रत्यक्ष भागीदारी हो। पेसा (PESA) अधिनियम, 1996 इसी राजनीतिक विकेंद्रीकरण का एक वैधानिक प्रयास है।

समाजशास्त्रीय दृष्टि से, आदिवासी विकास की नीतियां 'अलगाववाद' (Isolationism) और 'पूर्ण आत्मसातकरण' (Assimilation) के चरम छोरों से बचते हुए 'एकीकरण' (Integration) के मध्य मार्ग का अनुसरण करती हैं। जांजगीर-चांपा जैसे तेजी से औद्योगीकृत हो रहे जिले में, जहाँ विकास का मॉडल अक्सर पूंजीवादी और शहरी-केंद्रित होता है, आदिवासियों की सांस्कृतिक पहचान (Cultural Identity) को संरक्षित रखते हुए उन्हें आधुनिक अर्थव्यवस्था का हिस्सा बनाना सबसे बड़ी चुनौती है।

अध्याय 4: जांजगीर-चांपा में जनजातीय जनसांख्यिकी और सामाजिक-आर्थिक स्थिति

जांजगीर-चांपा जिले की जनसांख्यिकीय संरचना का विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट होता है कि यहाँ गोंड, कंवर, सवरा, और बिंझवार जैसी जनजातियां मुख्य रूप से निवास करती हैं। जिले की अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से कृषि और ऊर्जा उत्पादन (ताप विद्युत गृहों) पर आधारित है।

ऐतिहासिक रूप से, इस क्षेत्र के आदिवासी समुदायों की आजीविका वनों और निर्वाह कृषि (Subsistence Farming) पर निर्भर रही है। परंतु, औद्योगिकीकरण के प्रसार, खदानों के विस्तार और नए पावर प्लांट्स की स्थापना ने उनके पारंपरिक आजीविका संसाधनों को सीमित कर दिया है। भूमि अधिग्रहण के कारण विस्थापन की समस्या उत्पन्न हुई है, जिसने उन्हें खेतिहर मजदूर या औद्योगिक श्रमिक बनने पर विवश कर दिया है। इस पृष्ठभूमि में, सरकारी योजनाओं की भूमिका केवल कल्याणकारी न होकर 'संरक्षणात्मक' (Protective) भी हो जाती है।

अध्याय 5: प्रमुख सरकारी योजनाएं एवं उनका आलोचनात्मक मूल्यांकन (Critical Evaluation of Government Schemes)

5.1 शिक्षा एवं शैक्षणिक सशक्तिकरण के क्षेत्र में योजनाएं

शिक्षा सामाजिक गतिशीलता (Social Mobility) और राजनीतिक जागरूकता का सबसे सशक्त माध्यम है। जांजगीर-चांपा में आदिवासी शिक्षा के लिए लागू की गई योजनाओं ने सकारात्मक परिणाम दिए हैं, यद्यपि इसमें कई ढांचागत कमियां भी हैं।

● **एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRS):** भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा वित्तपोषित EMRS योजना का उद्देश्य दूरस्थ क्षेत्रों के मेधावी आदिवासी छात्रों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। जांजगीर-चांपा में इस योजना का प्रभाव अत्यंत गहरा रहा है। समाजशास्त्रीय रूप से, यह योजना छात्रों को केवल साक्षर नहीं बनाती, बल्कि उन्हें उच्च शिक्षा, राष्ट्रीय स्तर की प्रवेश परीक्षाओं और राज्य लोक सेवा आयोग (जैसे MPPSC, CGPSC) की तैयारी के लिए एक मजबूत वैचारिक आधार प्रदान करती है। आवासीय व्यवस्था के कारण छात्रों को एक ऐसा अकादमिक वातावरण मिलता है जो उन्हें घरेलू आर्थिक दबावों से मुक्त रखता है।

● **छात्रवृत्ति योजनाएं (प्री-मैट्रिक और पोस्ट-मैट्रिक):** आर्थिक अभाव के कारण शिक्षा बीच में छोड़ने (Dropout) वाले छात्रों के लिए यह योजना जीवनदायी है। उच्च शिक्षा में राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र और तकनीकी विषयों में आदिवासी युवाओं का नामांकन (GER) बढ़ा है। परंतु, छात्रवृत्ति के वितरण में होने वाली प्रशासनिक देरी और बैंकिंग तकनीकी खामियां (जैसे आधार-लिंकिंग की समस्याएं) छात्रों में व्यवस्था के प्रति कुंठा उत्पन्न करती हैं।

5.2 आर्थिक और आजीविका सशक्तिकरण

आदिवासियों के आर्थिक विकास के लिए राज्य द्वारा कई योजनाएं संचालित हैं, जो उन्हें पारंपरिक आजीविका के साथ-साथ आधुनिक बाजार से जोड़ने का प्रयास करती हैं।

● **वन धन विकास योजना एवं न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP):** लघु वनोपज (Minor Forest Produce) के संग्रहण से जुड़ी यह योजना आदिवासियों को बिचौलियों के आर्थिक शोषण से बचाने का एक महत्वपूर्ण नीतिगत कदम है। महुआ, साल बीज, और तेंदूपत्ता जैसे उत्पादों का MSP तय होने से संग्राहकों की आय में निश्चितता आई है। वन धन विकास केंद्रों के माध्यम से मूल्य संवर्धन (Value Addition) का प्रयास किया जा रहा है, यद्यपि जांजगीर-चांपा के ग्रामीण अंचलों में इन केंद्रों की सक्रियता अभी भी लक्ष्य से पीछे है।

● **मुख्यमंत्री स्व-रोजगार योजना:** आदिवासी युवाओं को स्थानीय स्तर पर रोजगार और सूक्ष्म उद्यम स्थापित करने के लिए रियायती दर पर ऋण उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। हालांकि, बैंकों की जटिल ऋण स्वीकृति प्रक्रिया और कोलैटरल (गारंटी) की मांग अक्सर आदिवासी युवाओं को इस योजना का वास्तविक लाभ लेने से वंचित कर देती है।

5.3 स्वास्थ्य, पोषण और जनसांख्यिकीय लाभांश

● **मुख्यमंत्री हाट-बाजार क्लिनिक योजना:** जांजगीर-चांपा के दूरस्थ क्षेत्रों में जहाँ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) भौतिक रूप से दूर हैं या चिकित्सकों का अभाव है, वहाँ हाट-बाजारों में मोबाइल मेडिकल यूनिट्स (MMU) द्वारा मुफ्त इलाज और दवाइयां देना एक अभिनव प्रशासनिक पहल है। यह योजना आदिवासियों के सांस्कृतिक व्यवहार (हाट-बाजार जाने की परंपरा) को स्वास्थ्य प्रशासन के साथ कुशलतापूर्वक जोड़ती है।

● **पोषण अभियान:** आदिवासी महिलाओं और बच्चों में एनीमिया और कुपोषण की दर को कम करने के लिए आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से पूरक पोषण आहार प्रदान किया जा रहा है।

5.4 भूमि, आवास और विधिक अधिकार

● **वन अधिकार अधिनियम (FRA) 2006:** यह एक ऐतिहासिक वैधानिक दस्तावेज है जो पारंपरिक रूप से जंगलों में रहने वाले आदिवासियों को व्यक्तिगत और सामुदायिक वन अधिकार (CFR) प्रदान करता है। जांजगीर-चांपा में पट्टे वितरण की प्रक्रिया हुई है, लेकिन दावों के खारिज होने (Rejection of Claims) की दर भी एक चिंता का विषय है, जो अक्सर साक्ष्यों के अभाव या राजस्व विभाग की कठोर नौकरशाही के कारण होता है।

● **प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण):** कच्चे मकानों में रहने वाले आदिवासी परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराने की इस योजना ने उनके जीवन स्तर (Standard of Living) में गुणात्मक सुधार किया है।

अध्याय 6: नीतिगत क्रियान्वयन में प्रशासनिक और राजनीतिक चुनौतियाँ (Administrative and Political Challenges)

योजनाओं के सैद्धांतिक निर्माण और उनके वास्तविक क्रियान्वयन के बीच एक गहरी खाई (Implementation Gap) मौजूद है। लोक प्रशासन के सिद्धांतों के आलोक में, जांजगीर-चांपा जिले में निम्नलिखित प्रमुख चुनौतियाँ देखी गई हैं:

6.1 नौकरशाही और लालफीताशाही (Bureaucracy and Red-Tapism)

सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आवश्यक दस्तावेजों (जैसे डिजिटल जाति प्रमाण पत्र, मूल निवासी प्रमाण पत्र, और आय प्रमाण पत्र) को प्राप्त करने की प्रक्रिया अत्यंत जटिल और समय लेने वाली है। मैक्स वेबर (Max Weber) के नौकरशाही सिद्धांत का आलोचनात्मक मूल्यांकन यहाँ प्रासंगिक है; जहाँ नियमों का कठोर पालन अक्सर योजनाओं के मूल मानवीय और कल्याणकारी उद्देश्य को ही समाप्त कर देता है। एक सामान्य आदिवासी नागरिक के लिए राजस्व विभागों के चक्कर काटना हतोत्साहित करने वाला होता है।

6.2 सूचना की विषमता (Asymmetry of Information)

नीतियों का निर्माण राज्य या केंद्र के स्तर पर होता है, लेकिन लक्षित वर्ग तक इसकी सूचना पहुंचने का तंत्र बहुत कमजोर है। स्थानीय प्रशासन द्वारा योजनाओं का प्रचार-प्रसार अक्सर केवल औपचारिक या कागजी होता है। स्थानीय आदिवासी बोलियों या क्षेत्रीय भाषा में संवाद की कमी के कारण, ग्राम सभाओं में योजनाओं पर जो सार्थक राजनीतिक और सामाजिक चर्चा होनी चाहिए, वह नहीं हो पाती।

6.3 अभिजनवादी प्रभाव (Elite Capture)

समाजशास्त्र और राजनीति विज्ञान में 'एलीट कैप्चर' की परिघटना यह दर्शाती है कि किसी समुदाय के भीतर का ही एक छोटा, जागरूक और संसाधन-संपन्न वर्ग (स्थानीय अभिजन) सरकारी योजनाओं के अधिकांश लाभों पर एकाधिकार कर लेता है। जांजगीर-चांपा के ग्रामीण क्षेत्रों में भी यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि जो परिवार पहले से ही राजनीतिक रूप से सक्रिय हैं (जैसे सरपंच, पंच या उनके करीबी), वे वन अधिकार पट्टे, कृषि सब्सिडी या आवास योजना का लाभ अधिक सुगमता से प्राप्त कर लेते हैं। इसके विपरीत, समुदाय का सबसे वंचित और हाशिए का वर्ग अपनी अज्ञानता और संपर्क विहीनता के कारण योजनाओं से वंचित रह जाता है।

अध्याय 7: विकासात्मक विरोधाभास: औद्योगिकीकरण बनाम जनजातीय अधिकार (Developmental Paradox)

जांजगीर-चांपा एक प्रमुख औद्योगिक केंद्र और ऊर्जा उत्पादक जिला है। राज्य के इस तीव्र विकास और औद्योगिकीकरण का सबसे गहरा मनोवैज्ञानिक, सामाजिक और आर्थिक प्रभाव स्थानीय आदिवासी आबादी पर पड़ता है।

यह एक बड़ा विकासात्मक विरोधाभास है कि एक तरफ सरकार कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से उनके आजीविका संवर्धन का प्रयास कर रही है, और दूसरी तरफ बड़े उद्योगों और पावर प्लांट्स के लिए होने वाले भूमि अधिग्रहण के कारण उनकी पारंपरिक आजीविका के साधन (जल, जंगल, और जमीन) लगातार सिकुड़ रहे हैं। विस्थापन (Displacement) के बाद मिलने वाला आर्थिक मुआवजा उनके दीर्घकालिक पुनर्वास और सामाजिक-सांस्कृतिक ताने-बाने (Socio-cultural fabric) को बचाने में विफल रहता है। इस संदर्भ में, केवल योजनाएं लागू करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि पेसा कानून के तहत ग्राम सभाओं को भूमि अधिग्रहण के संदर्भ में वास्तविक वीटो पावर (Veto Power) और निर्णय लेने का अधिकार देना आवश्यक है।

अध्याय: आदिवासी विकास का समाजशास्त्रीय एवं राजनीतिक परिप्रेक्ष्य (Theoretical Framework)

किसी भी कल्याणकारी राज्य (Welfare State) में हाशियाकृत (Marginalized) समुदायों का विकास केवल आर्थिक सहायता का विषय नहीं है, बल्कि यह उनकी राजनीतिक भागीदारी और सामाजिक सशक्तिकरण से गहराई से जुड़ा है। जांजगीर-चांपा जैसे तेजी से औद्योगीकृत हो रहे जिले में, जहाँ विकास का मॉडल अक्सर पूंजीवादी और शहरी-केंद्रित होता है, आदिवासी समुदायों का विकास एक जटिल चुनौती बन जाता है।

राजनीति विज्ञान के दृष्टिकोण से, भारतीय संविधान की 5वीं अनुसूची और अनुच्छेद 46 राज्य को यह विशेष उत्तरदायित्व सौंपते हैं कि वह अनुसूचित जनजातियों के शैक्षणिक और आर्थिक हितों की रक्षा करे। समाजशास्त्रीय दृष्टि से, आदिवासी विकास की नीतियां 'अलगाववाद' (Isolationism) और 'पूर्ण आत्मसातकरण' (Assimilation) के चरम छोरों से बचते हुए 'एकीकरण' (Integration) के मध्य मार्ग पर आधारित होनी चाहिए। जांजगीर-चांपा में लागू सरकारी योजनाओं का मूल उद्देश्य यही है कि आदिवासी समुदाय अपनी सांस्कृतिक विशिष्टता (Cultural Identity) को खोए बिना आधुनिक शिक्षा, रोजगार और प्रशासन की मुख्यधारा में शामिल हो सकें।

अध्याय: शिक्षा और सशक्तिकरण: सरकारी योजनाओं का आलोचनात्मक मूल्यांकन

शिक्षा सामाजिक गतिशीलता (Social Mobility) का सबसे सशक्त माध्यम है। जांजगीर-चांपा जिले में आदिवासी शिक्षा के लिए चलाई जा रही योजनाओं ने एक नए मध्यवर्ग के उदय का मार्ग प्रशस्त किया है।

1. एकलव्य मॉडल आवासीय विद्यालय (EMRS) का प्रभाव:

जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा वित्तपोषित EMRS योजना का उद्देश्य दूरस्थ क्षेत्रों के मेधावी आदिवासी छात्रों को नवोदय विद्यालयों की तर्ज पर उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करना है।

- **समाजशास्त्रीय प्रभाव:** यह योजना छात्रों को केवल साक्षर नहीं बनाती, बल्कि उन्हें उच्च शिक्षा, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षाओं और राज्य लोक सेवा आयोग जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए एक मजबूत वैचारिक आधार (Foundation) प्रदान करती है। आवासीय व्यवस्था के कारण छात्रों को एक ऐसा अकादमिक वातावरण मिलता है जो उन्हें घरेलू और कृषि कार्यों के दबाव से मुक्त रखता है।
- **राजनीतिक जागरूकता:** इन विद्यालयों से निकलने वाले छात्र अपने संवैधानिक अधिकारों के प्रति अधिक जागरूक होते हैं, जो भविष्य में स्थानीय स्वशासन (पंचायतों) में एक प्रबुद्ध नेतृत्व क्षमता का निर्माण करता है।

2. पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति और उच्च शिक्षा:

आर्थिक अभाव आदिवासी युवाओं के उच्च शिक्षा में प्रवेश में सबसे बड़ी बाधा रही है। पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति ने राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, विज्ञान और तकनीक जैसे विषयों में आदिवासी युवाओं के नामांकन दर (GER) में वृद्धि की है। हालांकि, छात्रवृत्ति के वितरण में होने वाली ढांचागत देरी और तकनीकी खामियां (जैसे बैंक खाते का आधार से लिंक न होना) कई बार छात्रों में कुंठा का कारण बनती हैं।

अध्याय: नीतिगत क्रियान्वयन में प्रशासनिक और सामाजिक-राजनीतिक चुनौतियाँ (Challenges in Implementation)

योजनाओं के निर्माण और उनके वास्तविक क्रियान्वयन के बीच एक गहरी खाई (Implementation Gap) मौजूद है। जांजगीर-चांपा जिले के विशेष संदर्भ में ये चुनौतियाँ निम्नलिखित हैं:

1. नौकरशाही और लालफीताशाही (Bureaucratic Hurdles):

सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने के लिए आवश्यक दस्तावेजों (जैसे डिजिटल जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, और आय प्रमाण पत्र) की प्रक्रिया अत्यंत जटिल है। एक सामान्य आदिवासी नागरिक के लिए राजस्व विभागों के चक्कर काटना समय और धन दोनों की बर्बादी है। मैक्स वेबर के नौकरशाही सिद्धांत के संदर्भ में देखें तो, प्रक्रिया का यह कठोर पालन अक्सर योजनाओं के मूल मानवीय उद्देश्य को ही समाप्त कर देता है।

2. सूचना की विषमता (Asymmetry of Information):

योजनाओं का निर्माण राज्य या केंद्र की राजधानियों में होता है, लेकिन लक्षित वर्ग तक इसकी सूचना पहुंचने का तंत्र बहुत कमजोर है। स्थानीय प्रशासन द्वारा योजनाओं का प्रचार-प्रसार अक्सर औपचारिक होता है। स्थानीय आदिवासी बोलियों या क्षेत्रीय भाषाओं में संवाद की कमी के कारण ग्राम सभाओं में योजनाओं पर सार्थक चर्चा नहीं हो पाती है।

3. अभिजनवादी प्रभाव (Elite Capture):

समाजशास्त्रियों ने अक्सर 'एलीट कैप्चर' की परिघटना की ओर इशारा किया है, जहाँ किसी समुदाय के भीतर का ही एक छोटा, जागरूक और संसाधन-संपन्न वर्ग सरकारी योजनाओं के अधिकांश लाभों पर एकाधिकार कर लेता है। जांजगीर-चांपा के ग्रामीण क्षेत्रों में भी यह देखा जा सकता है कि जो परिवार पहले से ही राजनीतिक रूप से सक्रिय हैं (जैसे सरपंच या पंच के करीबी), वे वन अधिकार पट्टे या आवास योजना का लाभ अधिक सुगमता से प्राप्त कर लेते हैं, जबकि सबसे वंचित वर्ग हाशिए पर ही रह जाता है।

4. औद्योगिकीकरण और विस्थापन का द्वंद्व:

जांजगीर-चांपा ताप विद्युत गृहों (Thermal Power Plants) और उद्योगों का केंद्र है। उद्योगों के लिए होने वाले भूमि अधिग्रहण का सबसे गहरा मनोवैज्ञानिक और आर्थिक प्रभाव स्थानीय आदिवासी आबादी पर पड़ता है। एक तरफ सरकार आजीविका संवर्धन की योजनाएं चला रही है, और दूसरी तरफ औद्योगिकीकरण के कारण उनकी पारंपरिक आजीविका के साधन (जंगल और कृषि भूमि) सिकुड़ रहे हैं। यह विकास का एक बड़ा विरोधाभास (Paradox of Development) है।

अध्याय 8: निष्कर्ष (Conclusion)

जांजगीर-चांपा जिले में आदिवासी समुदाय के विकास के लिए संचालित सरकारी योजनाएं एक मजबूत सैद्धांतिक और संवैधानिक ढांचा प्रस्तुत करती हैं। शिक्षा (EMRS), स्वास्थ्य (हाट-बाजार क्लिनिक), और आवास (PM Awas) जैसी योजनाओं ने निश्चित रूप से आदिवासियों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने और एक नई पीढ़ी को मुख्यधारा से जोड़ने का कार्य किया है।

तथापि, धरातल पर उनकी सफलता आंशिक है। लोक प्रशासन की जड़ता, लालफीताशाही, सूचना का अभाव और औद्योगिकीकरण के कारण उत्पन्न विस्थापन का संकट इन कल्याणकारी योजनाओं के प्रभाव को सीमित कर देता है। आदिवासी विकास का वास्तविक अर्थ उन्हें केवल 'लाभार्थी' (Beneficiary) के रूप में देखना नहीं है, बल्कि उन्हें एक 'सशक्त नागरिक' (Empowered Citizen) और निर्णय-निर्माण प्रक्रिया का सक्रिय भागीदार बनाना है।

अध्याय 9: सुधारात्मक उपाय एवं सुझाव (Corrective Measures and Suggestions)

कल्याणकारी नीतियों का लाभ अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति तक पहुँचाने के लिए निम्नलिखित अकादमिक और व्यावहारिक कदम उठाए जाने चाहिए:

1.**प्रशासनिक प्रक्रियाओं का सरलीकरण:** आय, जाति और निवास प्रमाण पत्र जैसे दस्तावेजों की प्रक्रिया को ग्राम पंचायत स्तर पर सिंगल-विंडो सिस्टम (Single-Window System) के माध्यम से सुलभ बनाया जाना चाहिए। तकनीक का उपयोग प्रशासन को सुगम बनाने के लिए होना चाहिए, न कि बाधा उत्पन्न करने के लिए।
2.**स्थानीय भाषा और संस्कृति का प्रयोग:** योजनाओं की जानकारी और उनका प्रचार-प्रसार केवल हिंदी या अंग्रेजी तक सीमित न रखकर स्थानीय बोलियों (जैसे छत्तीसगढ़ी या क्षेत्रीय आदिवासी बोलियों) में किया जाना चाहिए। नुक्कड़ नाटकों और ग्राम सभाओं का प्रभावी उपयोग हो।
3.**सामाजिक अंकेक्षण (Social Audit) की अनिवार्यता:** योजनाओं के क्रियान्वयन में पारदर्शिता लाने के लिए ग्राम सभाओं द्वारा नियमित 'सोशल ऑडिट' अनिवार्य किया जाना चाहिए। इसमें स्थानीय नागरिक समाज (Civil Society) और युवाओं की भागीदारी सुनिश्चित की जाए।
4.**कौशल विकास और औद्योगिक रोजगार:** चूंकि जांजगीर-चांपा एक औद्योगिक जिला है, इसलिए आदिवासी युवाओं को केवल कृषि या वनोपज पर निर्भर रखने के बजाय आधुनिक औद्योगिक कौशल (Industrial Skills) और तकनीकी शिक्षा (ITI, पॉलिटेक्निक) का उच्चस्तरीय प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए ताकि वे स्थानीय उद्योगों में सम्मानजनक रोजगार प्राप्त कर सकें।
5.**पेसा (PESA) और वन अधिकार कानून का दृढ़ क्रियान्वयन:** ग्राम सभाओं को सशक्त बनाकर भूमि अधिग्रहण और वन संसाधनों के प्रबंधन में उन्हें वास्तविक अधिकार सौंपे जाएं, ताकि वे 'एलीट कैप्चर' और बाहरी शोषण से अपनी रक्षा स्वयं कर सकें।

संदर्भ ग्रंथ सूची (References)

1.भारत सरकार, *भारत का संविधान* (भाग IV और अनुसूची V)।
2.जनजातीय कार्य मंत्रालय (Ministry of Tribal Affairs), भारत सरकार, *वार्षिक रिपोर्ट 2023-24*।
3.छत्तीसगढ़ शासन, जनजातीय तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग, विभिन्न नीतिगत दस्तावेज।
4.भारत की जनगणना 2011, *जांजगीर-चांपा जिले के जनसांख्यिकीय आंकड़े*
5.Xaxa, Virginius (2008). *State, Society, and Tribes: Issues in Post-Colonial India*. Pearson Education India.
6.Sen, Amartya (1999). *Development as Freedom*. Oxford University Press. (कल्याणकारी राज्य और क्षमता विकास के संदर्भ में)।
7.जांजगीर-चांपा जिला प्रशासन की आधिकारिक वेबसाइट एवं जिला सांख्यिकी पुस्तिका।
8.पेसा (PESA) अधिनियम, 1996 और वन अधिकार अधिनियम (FRA), 2006 के राजपत्रित दस्तावेज।

Copyright & License:

© Authors retain the copyright of this article. This work is published under the Creative Commons Attribution 4.0 International License (CC BY 4.0), permitting unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.